15-6-17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान मे पंचरायत मुख्यालय मोतीसरा मे पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण एकतरफा। प्रार्थना पत्र विप्रार्थी स.20 के फोत होने बाबत पर सुना गया। न्यायहित मे स्वीकार की जाकर विप्रार्थी स.20 के वारिसान पूर्व मे ही रिकार्ड पर होने के कारण विप्रार्थी स.20 का नाम आवेदन से हटाया जाता है। तत्पश्चात आवेदन पर अंतिम बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। और शामिल मिसल हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–पंचायत मुख्यालय मोतीसरा)
पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.147 / 2016

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
मांगाराम पुत्र लिखमाराम जाति सुथार निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.रूपाराम पुत्र भगाराम जाति सुथार निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी 2.भगा 3.मूला पिसरान मोती 4.सवा 5.दमा 6.हुकमा 7.गोतम पिसरान अणदा 8.श्रीति हेमीदेवी पत्नि अणदा 9.मांगाराम 10.छोगाराम 11.शंकरराम पिसरान सोनाराम 12.लंवगोदेवी पत्नि सोनाराम 13.श्रीमति झीमादेवी पत्नि पुनमाराम 14.चम्पालाल 15.मंगलाराम पिसरान पुनमाराम 16.तारीदेवी पत्नि अरविन्द 17.गिरधारीराम 18.पदमाराम 19.बाबुलाल पुत्र मोड़ाराम 20.मगा 21 अनोपा पिसरान लुम्बाराम 22.गोरधन 23. प्रभू

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सिणधरी)

Scanned by CamScanner

24.छगना पिसरान प्रागाराम

25.तारो पत्नि प्रागा कौम मेगवाल निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी

26.डाया

27.कृष्ण पिसरान हेमा जाति मेगवाल निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी

28.गिरधारीराम

29.खरताराम

30.भीमाराम पिसरान सुजानाराम जाति कलबी निवासी कागो की ढाणी तहसील सिणधरी

31.भैराराम पुत्र मोती

32.लाखा पुत्र गंगदा

33. केशा पुत्र गंगदा

34.सवा

35.भीखा पिसरान चेना जाति कलबी निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी

36.छोगा

37.मोटा

38.समर्था पिसारान पोकरा

39.टीकमा

40.जुगता

41.नानगा पिसरान डुगरा

42.श्रीमति हेमीदेवी पत्नि लाखाराम

43.पुरखाराम

44.मिश्राराम पिसरान धीराराम

45.मोटाराम

46.शंकराराम

47.जेठाराम पिसरान पनाराम

48.बबरीदेवी पत्नि पनाराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

49.सुरा पुत्र राणाराम

50.बाबुराम

51.हिमताराम

52.शेराराम पिसरान धोकलाराम

53.अणदुदेवी पत्नि धोकलाराम

54.लालाराम

55.लाधाराम पिसरान कुभांराम

56.अणसीदेवी पत्नि कुभांराम

57.खरता

58.गंगा

59.माना

60 टीकमा

61.रूधा पिसरान हुकमाराम जाति जाट निवासी भलखाड़ी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

62.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री हरीश चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकरतफा।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश

दिनांक–15.6.17

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोतीसरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 256/4 व 256/5 कुल रकबा 97–02 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम मोतीसरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 256/4 व 256/5 कुल रकबा 97–02 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। बावजुद सुचना अनुपस्थित। हस्तगत प्रकरण मे विप्रार्थीगण के विरूद्व पूर्व मे ही एकतरफा कार्यवाही पारित हो चुकी है।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोतीसरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 256/4 व 256/5 कुल रकबा 97–02 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोतीसरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 256/4 व 256/5 कुल रकबा 97–02 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम मोतीसरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 256/4 व 256/5 कुल रकबा 97–02 बीधा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्राथीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner

लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **ग्राम मोतीसरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 256/4 व 256/5 कुल रकबा 97—02 बीघा** भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

15/6/17
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 15/6/17 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

15/6/17
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner